

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-जयपुर/एफ.05549/2025/ दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 3(1)डीओपी/ए-II/2013 जयपुर, दिनांक 02.01.2017 के अनुसरण में विधवा कर्मचारी को टंकण एवं कम्प्यूटर अर्हता परीक्षा से मुक्त रखने के फलस्वरूप श्रीमती नीलम, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान, जयपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.02.2023 है, को दो वर्ष की परिवीक्षा काल अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने पर दिनांक 16.02.2025 से 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-जयपुर/एफ.05549/2025/230 दिनांक : 10/3/25
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. संबंधित कार्मिको को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :08-03-2025 04:06:34